भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2533

दिनांक 19.12.2023 को उत्तरार्थ

केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति

†2533. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पंचायती राज के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना और इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-2026 तक संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना लागू की जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने और जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। योजना के तहत, पूर्वोत्तर, पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 के अनुपात में है, केंद्र और राज्य के बीच राज्य

घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न 60:40 के अनुपात में है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्रीय हिस्सा 100% है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा पुडुचेरी और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

(ख) योजना के तहत, वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 (15.12.2023 तक) के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1238.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

****